न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्या: 86/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 7.6..2023
अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भैरूलाल आ0 पन्नालाल जाति माली निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
1. ओमप्रकाश आ0 भेरूलाल
2. सत्यनारायण आत्मज भेरूलाल
3. मोहन कुमारी पुत्री भेरूलाल
4. इन्द्रादेवी पुत्री भेरूलाल
5. शाति देवी पुत्री भेरूलाल
6. मन्नीबाई बेवा भेरूलाल

जाति माली निवासीगण रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा –राज0।

बनाम ...अपीलार्थीगण

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।

उपस्थित : श्री जितेन्द्रनामा अभिभाषक –अपीलार्थी ... रेस्पोडेन्ट
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 11/2011 (प्रार्थना पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा बनाम भेरूलाल (मृतक) जरिये कायम मुकामान ओमप्रकाश वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुदायला की भैरूलाल आ0 पन्नालाल जाति माली को दिनांक 31.1.1966 को आवंटित भूमि ख0 नं0 मि. 234 रकबा 12 बीघा पर आवंटी का कब्जा नही होने से आवंटन शर्तो का उल्लधन होने के कारण आवंटन निरस्तीकरण हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियत 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.7.2009 को आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय मे अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील मे पारित निर्णय दिनांक 8.7.2011 से अति0 जिला कलक्टर कोटा का निर्णय 29.7.2009 निरस्त कर प्रकरण वादग्रस्त आराजी के संबध मे पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मौका रिपोर्ट, आराजी पर कब्जे आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर पक्षकाराान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। उक्त रिमांड निर्देशो की पालना मे मोक रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष

प्रसतुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा तह0 रामंगजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये वाके ग्राम कुदायला की आराजी ख0 नं0 मि. 234 रकबा 12 बीघा (नवीन ख0 नं0 315 रकबा 1.94 है0) का अपीलार्थीगण के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 31.1.1966 निर्णय दिनांक 19.11.2015 से निरस्त कर भूमि को पुनः सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय सरसरी तौर पर पारित किया है। इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त आराजी आपी0 के पिता भेरूलाल को आवंटन की जाकर, दखल दिया जाकर गैरखातेदारी मे दर्ज की गई। आवंटन उपरांत से ही भेरूलाल तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट्स का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। कुछ भूमि पर ग्रामवासियो ने अवैध रूप से आवंटी को बदेखल कर कब्जा कर लिया शेष भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट सर्वथा गलत है पटवारी हल्का ने रिपोर्ट मे किन–किन व्यक्तियों का कितनी–कितनी भूमि पर कब्जा है तथा कितनी भूमि को किस किस ने दबा रखी है स्कूल व पंचायत को कितनी आवेटन की गई तथा रास्ते व खेल के रूप मे काम आ रही स्पष्ट नही किया है बल्कि इन्होने बिना किसी आदेश के आवंटित भूमि पर अतिक्रमण किया है। रेस्पो0 की अपीलांट से वेमनस्यता के कारण 23 वर्ष बाद केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर आवंटन खारजी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुये आवंटन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। उक्त निर्णय की वकील सा0 द्वारा कोई जानकारी नही दी गई सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.5.22 को अपीलांट को बेदखल करने तथा आराजी सिवायचक दर्ज करने पर होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि प्रकरण मे मंगवाई गई मौका रिपोर्ट स्पष्ट नही है। मौका रिपोर्ट मे ख0 नं0 का रकबा बढ रहा है जो सही नही है। वादग्रस्त भूमि का दिनांक 31.1.1966 को भेरूलाल को आवंटन हुआ है। तत्पश्चात से ही भैरूलाल का कब्जा तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटस का कब्जा है पटवारी ने रिपोर्ट मे स्कूल बनना बताया है। जबकि कब्जा अपीलार्थीगण का है। आवंटन आदेश को 23 वर्ष बाद निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा वेमनस्यता से पेश किया है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कतई गौर नही कर आवंटन आदेश निरस्त करने मे त्रुटि की है। आलौच्य जेरअपील निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार यह प्रमाणित तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट द्वारा कब्जा काश्त के संबध मे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है। कब्जा काश्त के संबध मे खसरा गिरदावरी की नकल अथवा लगान जमा कराने की कोई रसीद पेश प्रकरण मे पेश नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया

जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के रिमांड आदेश दिनांक 8.7.2011 की अनुपालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी की मौके पर कब्जे से संबधित रिपोर्ट प्राप्त की गई। जो अधीनसथ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स का मौके पर कब्जा काश्त होना नही पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा आवंटन पश्चात पश्चातवर्ती वर्षो मे उसका कब्जा काश्त रहा हों ऐसे भी कोई दस्तावेजात, नकल खसरा गिरदावरी अथवा लगान की रसीदे आदि अधीनस्थ न्यायालय अथवा हस्तगत अपील प्रकरण मे पेश नही की गई जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त होना प्रकट होता हो। ऐसी स्थिति मे अपीलांट का मौका रिपोर्ट अस्पष्ट होने संबधी कथन समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे स्वीकार योग्य नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 19.11.2015 मे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 11/2011 (प्रार्थना पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा बनाम भेरूलाल (मृतक) जरिये कायम मुकामान ओमप्रकाश वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा